न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– कैलाश चन्द्र शर्मा आर.ए.एस.

A-8
7

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 858/2016

1. मोहनलाल पुत्र श्री हरीचन्द जाति अरोड़ा निवासी चक 9 एम.एल. लठावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर वर्तमान 67 मुखर्जी नगर श्रीगंगानगर।

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. गुरजन्टसिंह पुत्र श्री गुरदेवसिंह जाति जटसिख निवासी चक 9 एम.एल. लठावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट आफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर।

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री सुरेश कुमार अरोड़ा अधिवक्ता — प्रार्थी
2. श्री मनोहरलाल सहारण अधिवक्ता — अप्रार्थी
3. पैरोकारराज

उपखण्ड अधिकारी (राज.) * श्रीगंगानगर (राज.)

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– 12.11.2016

प्रार्थी द्वारा जरीये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से चक 10 एम. एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 13, 19 ता 22 में कुल 3.288 हैक्टर रकबा स्थित है। जिस हेतु प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता है।

प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि हेतु रास्ता इसी चक के मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 1 ता 5 में स्थित है, जो रास्ता मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 1 पर आकर समाप्त हो जाता है। प्रार्थी की भूमि मुरब्बा नम्बर 39 के उत्तर दिशा में स्थित है, प्रार्थी उक्त रास्ता से मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 1 में प्रवेश कर अपनी भूमि मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 21 में अर्सा दराज में प्रवेश करता आ रहा है। मुरब्बा नम्बर 39 की भूमि अप्रार्थी संख्या 1 गुरजन्टसिंह के नाम से दर्ज है, जो कि समय समय पर प्रार्थी के आवागमन में बाधा उत्पन्न करता रहता है। जबकि उसे रास्ते में रूकावट डालनें का कोई अधिकार नहीं है।

प्रार्थी की भूमि में आनें जानें के लिये उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई सुविधाजनक एवम् निकटमत रास्ता नहीं है ना ही प्रार्थी के रकबा के लिये स्वीकृत रास्ता है।, इस कारण प्रार्थी को अपनी भूमि में आनें जानें के लिये मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 1 में 16X16 फुट भूमि मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 21 के साथ चिपती हुई के रास्ता को स्वीकृत करवाना चाहता है, क्योंकि उक्त रास्ता स्वीकृत न होनें के कारण अप्रार्थी समय–समय अस्थाई रूप से चल रहे रास्ता में अवरोध पैदा करता है।

प्रार्थी नें अप्रार्थी को दिनांक 05.10.2016 को मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 1 में 16X16 फुट रास्ता स्वीकृत करवानें के लिये कहा तो अप्रार्थी नाराज हो गया और एलानिया कहनें लगा कि वह अब इस रास्ता से प्रार्थी को भूमि में प्रवेश ही नहीं करनें देगा।

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

वाला नुकसान है, क्योंकि प्रार्थी द्वारा जो फसल अपनी भूमि में बिजांत कर रखी है, पक कर तैयार है, वह भी बिना रास्ता के खराब हो जावेगी। जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की भूमि हेतु रास्ता चक 10 एम.एल. का मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 1 के उत्तरी दिशा में 16X16 फुट चक हाजा का मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 21 के साथ चिपता हुआ स्वीकृत करनें के आदेश प्रदान किये जावें। नियमानुसार जो भी मुआवजा देय होगा वह प्रार्थी अदा करनें के लिये तैयार होगा।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। उभयपक्ष द्वारा दिनांक 03.11.2016 को न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में पक्षकारान का पंचायत के मौतबिरान एवम् बिरादरी के मौजिज व्यक्तियों नें राजीनामा करवा दिया है। अतः राजीनामा तस्दीक किया जावे।

उभयपक्ष द्वारा दिनांक 03.11.2016 को प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया कि हम पक्षकारान का आपस में लोक अदालत की भावना से राजीनामा करवा दिया है और बरूवे राजीनामा अनावेदक नें अपनी कृषि भूमि वाके चक 10 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 1 के उत्तरी दिशा में 8X16 फुट मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 21 के साथ चिपता हुआ रास्ता देना तय किया है। उक्त 16 फुट स्थान मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 21 के साथ चिपता हुआ लम्बाई में होगा। इस प्रकार उक्त रास्ता स्वीकृत किया जाता है, तो हम पक्षकारान को कोई आपत्ति नहीं होगी। जो रास्ता बिना किसी प्रकार के मुआवजा प्राप्त किये अपनी स्वेच्छा से द्वितीय पक्षकार नें प्रथम पक्षकार को मुरब्बा नम्बर 26 के लिये दिया है।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है, कि राजीनामा तस्दीक किया जाकर बरूवे राजीनामा प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया जिसको प्रार्थी एवम् अप्रार्थीगण द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये प्रार्थी एवम् अप्रार्थीगण की पहचान उनके अधिवक्तागणों द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

प्रकरण में प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागणों द्वारा दिनांक 08.11.2016 को दौरान बहस कथन किया की उभयपक्ष के मध्य कोई प्रतिवाद नहीं है अतः राजीनामा के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता स्वीकृत कर अनुतोष प्रदान किया जावे। तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 07.11.2016 के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई सुविधाजनक रास्ता नहीं है। पूर्व में कोई रास्ता स्वीकृत नहीं है। तथा प्रार्थी नियमानुसार रास्ता स्वीकृति में मुआवजा देनें हेतु सहमत है।

विद्धान अधिवक्तागणों की बहस का मनन किया गया तथा उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहसीलदार की रिपोर्ट एवम् राजीनामा का अवलोकन किये जानें पर रास्ता स्वीकृत करना न्यायोचित पाया गया।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के अन्तर्गत चक 10 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 1 के उत्तरी दिशा में 8X16 फुट मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 21 के साथ चिपता हुआ रास्ता स्वीकृत किया जाता है। उक्त रास्ता का 16 फुट स्थान मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 21 के साथ चिपता हुआ लम्बाई में होगा।

तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है, कि उक्तानुसार रास्ते की भूमि का राजस्व अभिलेख में नियमानुसार अमल दरामद किया जावे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 12.11.2016 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर